हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972

धाराओं का क्रम

अध्याय।

प्रारम्भिक

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. राज्य नीति के कतिपय निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए घोषणा।
3. परिभाषाएं।

अध्याय–2

भू–जोत अधिकतम सीमा, अधिशेष क्षेत्र का अर्जन और व्ययन।

4. अनुज्ञेय क्षेत्र।
5. छूट।
6. भूमि की अधिकतम सीमा।
6–क. चाय सम्पदाओं के अधीन भूमि उपयोग में परिवर्तन।
7. कतिपय अन्तरणों से अधिशेष क्षेत्र का प्रभावित न होना।
7–क. चाय सम्पदाओं के अधीन भूमि अन्तरण का वर्णन।
8. अनज्ञेय क्षेत्र का चयन।
9. कतिपय भू–स्वामियों और अभिधारियों द्वारा शपथपत्रों द्वारा समर्थित घोषणा प्रस्तुत की जाना।
10. कलक्टर को कथन प्रस्तुत करना।
11. अधिशेष क्षेत्र का राज्य सरकार में निहित होना।
12. अधिशेष क्षेत्र का कब्जा लेने की शक्ति।
13. भू–स्वामियों के हिस्सों को पृथक करने की शक्ति।
14. राशि के अवधारण और संदाय के लिए सिद्धांत।
15. अधिशेष क्षेत्र का व्ययन।
15–क. राज्य के विकास के लिए भूमि का उपयोग।
16. अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि के भावी अर्जन का वर्जन।
17. अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि का विरासत द्वारा या अन्यथा भावी अर्जन या ऐसे क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवर्तन के परिणाम स्वरूप वृद्धि।
17–क. धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त भूमि उपयोग के कुछ अन्तरणों और परिवर्तन का व्यवहार।
18. अधिकारिता का वर्जन।
19. रकम और शास्ति की वसूली का ढंग।
20. अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण।
21. जांच करने वाले अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होना।
22. मिथ्या विवरण देने के लिए शास्ति।
23. प्रक्रिया।
24. कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना।
25. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
26. नियम बनाने की शक्ति।
27. कठिनाईयों की दूर करने की शक्ति।
28. निरसन और व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972

(1973 का अधिनियम संख्यांक 19)[1]

(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 19 अक्तूबर, 1987 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 19 दिसम्बर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2477 से 2489 पर प्रकाशित किया गया।)

हिमाचल प्रदेश राज्य में भू–जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधियों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावितः–

(i) 2000[2] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 जिसे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त, 2000 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 11 अप्रैल, 2000 को पृष्ठ संख्या 841 से 850 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। धारा 2, 3 और 4, 28 जुलाई, 1973 से प्रवृत हुई समझी जाएंगी।

(ii) 2014[3] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 02 जिसे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 07 जनवरी, 2014 को अनुमति प्रदान की गई और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी, 2014 को पृष्ठ संखया 5827 से 5828 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया।

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

———————————

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 19 अक्तूबर, 1987 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 19 दिसम्बर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2477 से 2489 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।
2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 19 अगस्त, 1999 पृष्ठ संख्या 3305 और 3311 देखें।
3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश तारीख 29 अगस्त, 2012 पृष्ठ संख्या 3155 से 3157 देखें।

2. **राज्य नीति के कतिपय निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए घोषणा.**– एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य नीति को प्रभावशील बनाने के लिए है।

3. **परिभाषाएं.**–इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,–

(क) "वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अवयस्क नहीं है;

(ख) "नियत दिन" से जनवरी 1971 का चौबीसवां दिन अभिप्रेत है;

(ग) "बंजर भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नियत दिन से तुरन्त पूर्ववर्ती दो वर्ष से अन्यून लगातार अवधि के लिए अकृष्ट रही है और इसके अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में बंजर भूमि के रूप में अभिलिखित कृषि योग्य बंजर भूमि है।

(घ) "कुलैक्टर" से जिले का कुलैक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो प्रथम श्रेणी के सहायक कुलैक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ङ) "कुटुम्ब" से पति, पत्नी और उनकी अवयस्क सन्तान या उनमें से कोई एक या अधिक अभिप्रेत है;

(ङङ) "विकलांग व्यक्ति" से अपंग, या शारीरिक या चिकित्सक दृष्टया से त्रुटिपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है और जो क्षति, बीमारी या जन्मजात अंगविकार के कारण सामान्य जीवन व्यतीत करने से या उस काम के लिए जिसमें वह नियोजित है पूरी मजदूरी उपार्जित करने या नियोजन उपाप्त करने या बनाए रखने से या उस क्षति, बीमारी या अंगविकार के कारण ऐसे काम का भार अपने ऊपर लेने से जो उसकी आयु, अनुभव और अर्हताओं के अनुकूल होता, सारभूत रूप से निवारित या असमर्थ है;

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वह व्यक्ति जिसकी निर्योग्यता पचास प्रतिशत की सीमा तक या उससे अधिक है, सारभूत रूप से असमर्थ या निर्योग्य व्यक्ति समझा जायेगा।

(ङङङ) "घरहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास अपना घर या घर बनाने के लिए स्थान नहीं है;

(च) "भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो नगर या ग्राम में किसी भवन के स्थल के रूप में अधिभोग में नहीं है और जो कृषि प्रयोजनों के लिए या कृषि अनुसेवी प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और निम्नलिखित इसके अन्तर्गत हैं:–

(1) ऐसी भूमि पर भवन और अन्य संरचनाओं के स्थल,

(2) फलोद्यान,

(3) घासनियां,

(4) बंजर भूमि, और

(5) निजी वन,

(छ) "भू–स्वामी" से यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रेविन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) में इस रूप में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भू–स्वामी का हित–पूर्वाधिकारी या उत्तराधिकारी होगा;

(ज) "भूमिहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास चाहे स्वामी या अभिधारी के रूप में कृषि के प्रयोजनों के लिए भूमि नहीं है, मुख्यतः भूमि पर शारीरिक श्रम से जीविका कमाता है और कृषि–व्यवसाय अपनाने का इरादा रखता है और व्यक्तिगत रूप से खेती करने योग्य है:

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसका पिता जीवित है या जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3,000 रुपये से अधिक है, भूमिहीन व्यक्ति नहीं समझा जायेगा।

(झ) "भू–राजस्व" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निर्धारित या, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रेविन्यू ऐक्ट, 1887(1887 का 17) के अधीन निर्धार्य भू–राजस्व अभिप्रेत है;

(ञ) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(ट) "फलोद्यान" से भूमि का ऐसा संहत क्षेत्र अभिप्रेत है जिस पर फलदायी वृक्ष ऐसी संख्या में उगाए गए हों कि वे ऐसी भूमि के पर्याप्त भाग को किसी कृषि प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने में प्रवारित करते हों या जब वे पूर्णतः उग जायेंगे, प्रवारित करेंगे, किन्तु इसके अन्तर्गत केले या अमरूद के उद्यान या दाख वाटिका नहीं होगी;

(ठ) "अन्य पात्र व्यक्ति" ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,–

(i) जिसके पास, चाहे स्वामी या अभिदाता के रूप में कृषि के प्रयोजनों के लिए एक एकड से कम भूमि है, मुख्यतः भूमि पर शारीरिक श्रम से जीविका कमाता है और कृषि व्यवसाय अपनाने का इरादा रखता है और व्यक्तिगत रूप से खेती करने योग्य है;

(ii) जिसका पिता जीवित नहीं है; और

(iii) जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 3000 रुपये से अधिक नहीं है:

परन्तु इसके अन्तर्गत, दो या उससे अधिक व्यक्तियों के संयुक्त स्वामीत्व में या खेती की जा रही सम्पदा में हिस्सा या भाग धारण करने वाला व्यक्ति, नहीं होगा।

(ड) "अनुज्ञेय क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 4 में विनिर्दिष्ट भूमि का विस्तार अभिप्रेत है;

(ढ) "व्यक्ति" से भू–स्वामी (अभिधारी और संकब्जा बन्धकदार) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कम्पनी, कुटुम्ब, व्यष्टियों का संगम या अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, और सम्पत्ति धारण करने के लिए समर्थ कोई संस्था है;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बताए गए नियनों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) "निजी वन" से ऐसा वन अभिप्रेत है जो सरकार की सम्पत्ति नहीं है या जिस पर राज्य का साम्पत्तिक अधिकार नहीं है या जिसकी सम्पूर्ण वन–उपज या किसी भाग का, राज्य अधिकारी नहीं है।

(थ) "पृथक इकाई" से वयस्क पुत्र या उसकी मृत्यु की दशा में, उसकी विधवा और सन्तान, यदि कोई हो अभिप्रेत है;

(द) "अधिशेष क्षेत्र" से अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(घ) "चाय सम्पदा" से चाय बागान के अधीन क्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत चाय बागान के अनुसेवी प्रयोजनों के लिए आवश्यक ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, जो विहित किए जाएं;

(न) "अभिधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भू–स्वामी के अधीन भूमि धारण करता है, और उस भूमि के लिए, उस भू–स्वामी को लगान संदत्त करने का दायी है; या प्रतिकूल संविदा के कारण दायी होगा, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :–

(1) अनु–अभिधारी; और

(2) यथास्थिति, अभिधारी या अनु–अभिधारी के हित के पूर्वाधिकारी या उत्तराधिकारी, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :–

(क) भू–स्वामी के अधिकारों का बन्धकदार, या

(ख) कोई व्यक्ति जिसे, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रेविन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) के अधीन, यथास्थिति, भू–राजस्व की बकाया या ऐसी बकाया के रूप में वसूलीय राशि की वसूली के लिए कोई जोत अन्तरित की गई है या कोई सम्पदा या जोत पट्टे पर दी गई है।

(ग) x x x x x x x x

(प) "अभिधृत्ति" से भू–स्वामी के अभिघारी द्वारा एक पट्टे या समान शर्तों के अधीन धारण किया गया भू–खण्ड अभिप्रेत है; और

(फ) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं। किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) या पंजाब लैण्ड रेविन्यू ऐक्ट, 1887 (1887 का 17) में उनके है।

अध्याय–2

भू–जोत अधिकतम सीमा, अधिशेष क्षेत्र का अर्जन और व्ययन।

4. **अनुज्ञेय क्षेत्र.**–(1) भू–स्वामी या अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार या अंशतः एक हैसियत में या अंशतः अन्य हैसियत में, व्यक्ति या कुटुम्ब का, जो पति–पत्नी और तीन अवयस्क संतानों से मिलकर बनता है, अनुज्ञेय क्षेत्र निम्नलिखित होगा–

(क) सुनिश्चित सिंचाई के अधीन भूमि की दशा में, जो एक वर्ष में दो फसलें उगाने में समर्थ हो, ————————10 एकड़,

(ख) सुनिश्चित सिंचाई के अधीन भूमि की दशा में, जो एक वर्ष में एक फसल पैदा करने में असमर्थ हो, ————————15 एकड़,

(ग) उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित भूमि की श्रेणियों से भिन्न जिसमें फलोद्यान के अधीन भूमि सम्मिलित है ————————30 एकड़,

(2) उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए जिला किन्नौर और लाहौल और स्पिति, जिला चम्बा की पांगी तहसील और उप तहसील भरमौर, जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के बैजनाथ कानूनगो हल्के के छोटा भंगाल और बढ़ा भंगाल क्षेत्र, और रोहडू तहसील के डोडरा–क्वार पटवार हल्के के क्षेत्र और जिला शिमला की रामपुर तहसील के पन्द्रह–बीस परगनों के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र 70 एकड़ होगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन कुटुम्ब के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र, कुटुम्ब के प्रत्येक प्रतिरिक्त अवयस्क सदस्य के लिए उप–धारा (1) और (2) के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र के पांचवें भाग के बराबर उस शर्त के अधीन बड़ा दिया जाएगा, कि कुल अनुज्ञेय क्षेत्र उप–धारा (1) और (2) के अधीन कुटुम्ब के अनुज्ञेय क्षेत्र के दुगने से अधिक नहीं होगा।

(4) व्यक्ति का प्रत्येक व्यस्क पुत्र एक पृथक इकाई माना जाएगा और वह इस शर्त के अधीन कि कुटुम्ब और पृथक इकाई को मिलाकर कुल भूमि उक्त उप–धाराओं के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र के दुगने से अधिक नहीं होगी, उप–धारा (1) और (2) के अधीन कुटुम्ब के अनुज्ञेय क्षेत्र की सीमा तक भूमि का हकदार होगाः

परन्तु जहां पृथक इकाई के स्वामित्वाधीन कोई भूमि हो, वहां वह उसे यूनिट के लिए अनुज्ञेय क्षेत्र संगणित करने के लिए, हिसाब में ली जाएगी।

(5) यदि कोई व्यक्ति, इस धारा की उप–धारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) और उप–धारा (2) में उल्लिखित दो या अधिक वर्गों की भूमि धारण करता हो तो अनुज्ञेय क्षेत्र का अवधारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :–

(i) इस धारा की उप–धारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में, उप–धारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि का एक एकड़, उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित डेढ़ एकड़ और उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित भूमि के सात एकड़ के बराबर गिना जाएगा;

(ii) इस धारा की उप–धारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, उप–धारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि का एक एकड़ उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित भूमि का डेढ़ एकड़, और उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित भूमि के तीन एकड़ के बराबर गिना जाएगाः

परन्तु खण्ड (i), (ii) में विहित अनुपात के आधार पर अनुज्ञेय क्षेत्र को, यथास्थिति, उप–धारा (2) और उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित भूमि के वर्ग में परिवर्तित किया जाएगा, और इस प्रकार परिवर्तित कुल क्षेत्र, खण्ड (i) की दशा में 70 एकड़ और खण्ड (ii) की दशा में 30 एकड़ से अधिक नहीं होगा।

(6) जहां व्यक्ति कुटुम्ब का सदस्य है वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि, कुटुम्ब के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि के साथ, अनुज्ञेय क्षेत्र की गणना के प्रयोजन के लिए, हिसाब में ली जाएगी।

5. **छूट.**–इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे–

(क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि,

(ख) रजिस्ट्रीकृत सहकारी कृषि सोसाईटियों की भूमिः

परन्तु यह तब जब कि ऐसी सोसाईटी के सदस्य का शेयर उसकी अन्य भूमि सहित, यदि कोई हो, अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक नहीं है,

(ग) भूमि बन्धक बैंकों, राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों और किन्हीं अन्य बैंकों की भूमि।

स्पष्टीकरणः–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "किन्ही" अन्य बैंकों से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 में यथापरिभाषित बैंककारी कम्पनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (सननुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथापरिभाषित समनुषंगी बैंक और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में, यथापरिभाषित, "तत्समान नया बैंक" कृषिक पुनर्वित्त निगम और कृषि उद्योग निगम, कृषि वित्त निगम लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित्त कम्पनी और इस निमित्त, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था है;

(घ) स्थानीय प्राधिकरणों की या उनमें निहित भूमि;

[1]{**स्पष्टीकरण.**–इस उप–खण्ड के प्रयोजन के लिए "स्थानीय प्राधिकरण" से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन गठित नगर–पंचायत, नगर परिषद्, नगर निगम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, या अन्य कानूनी निकाय अभिप्रेत है।}

[2]{ङ से च X X X X X X X X X X}

(छ) चाय सम्पदाएं।

[3]{(ज) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित भूमि जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा वास्तविक औद्योगिक उपयोग, या किसी जल विद्युत परियोजना द्वारा किसी वास्तविक परियोजना के उपयोग के लिए धारित है या किसी अन्य रीति के अर्जित की जानी है। राज्य सरकार, यह विचार करते समय कि क्या ऐसी भूमि इस प्रकार धारित है या अर्जित की जानी है, औद्योगिक उपक्रम या जल विद्युत परियोजना द्वारा पूर्व धारित, भूमि, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत इस द्वारा औद्योगिक या परियोजना के उपयोग के लिए पहले से धारित भूमि भी होगी, की सीमा और अवस्थिति और इसके भविष्य में विस्तारण के लिए उपयुक्त आवश्यकता का भी ध्यान रखेगीः

परन्तु यदि राज्य सरकार का इस खण्ड के अधीन अधिसूचित भूमि की दशा में समाधान हो जाता है, कि औद्योगिक उपक्रम या जल विद्युत परियोजना द्वारा उप खण्ड के अधीन जारी अधिसूचना की तारीख में दो वर्ष की अवधि के भीतर (या पांच वर्ष से अनधिक ऐमी बढ़ाई गई अवधि, जैसी राज्य सरकार विनिश्चय करे) भूमि का वास्तविक रूप में अर्जन नहीं किया गया है या उसका वास्तविक रूप में उपयोग नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, विहित गति में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी, कि आदेश में विनिर्दिष्ट भूमि या उसके किसी भाग को ऐसी तारीख से, जो आदेश में उल्लिखित है, छूट प्राप्त भूमि नहीं रहेगी।}

———————————

1. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडा गया, जो 28 जूलाई, 1973 से प्रभावी है।
2. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा खण्ड (ड.) और (च) का लोप किया गया, जो 28 जूलाई, 1973 से प्रभावी है।
3. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा खण्ड (ज) जोडा गया, जो 28 जूलाई, 1973 से प्रभावी है।

[1]{(झ) जातिवाद, मदात्यय और मादक द्रव्यों के व्यसन आदि के उन्मूलन सहित नैतिक या धर्म–निरपेक्ष शिक्षाओं का प्रचार करने वाले धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों से सम्बन्धित भूमिः

परन्तु इस खण्ड के अधीन छूट, केवल तभी तक जारी रहेगी जब तक ऐसी भूमि और अवसंरचना, यदि कोई है, का उपयोग ऐसे धार्मिक या आध्यात्मिक निकायों या संगठनों द्वारा अपने प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसे ऐसे निकायों या संगठनों द्वारा विक्रय, पट्टा, दान, वसीयत, सकब्ज़ा बन्धक द्वारा या किसी अन्य रीति से अन्तरित नहीं किया जाएगा और इस खण्ड के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में ऐसी भूमि या अवसंरचना या दोनों, यथास्थिति, सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।}

6. **भूमि की अधिकतम सीमा.**–किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी व्यक्ति, चाहे भू–स्वामी या अभिधारी या कब्जा बन्धकदार के रूप में या अंशतः किसी एक हसियत में और अंशतः अन्य हैसियत में, नियत दिन को या उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने का हकदार नहीं होगा।

[2]{6–क. **चाय सम्पदाओं के अधीन भूमि उपयोग में परिवर्तन.**–इस अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (छ) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां चाय सम्पदा में समाविष्ट सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को, इस बात का विचार किए बिना कि यह धारा 4 के अधीन विहित अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक है, धारा 10 के अधीन कलक्टर द्वारा छूट के लिए चिन्हित किया गया है, राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना, चाय बागान या अनरक्षण अथवा चाय बागान के अनुसेवी प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य उपयोग में लाया जाता है, तो इस अधिनियम के उपबन्ध इस प्रकार अन्य उपयोग में लाई गई ऐसी भूमि को लागू होंगे और इसे अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा और धारा 14 के अधीन अवधारित रकम के संदाय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई समझी जाएगी और ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रुढ़ि अथवा प्रथा द्वारा सभी व्यक्तियों के मान्यताप्राप्त सभी अधिकार, हक और हित (समाश्रित हित सहित, यदि कोई हों) निर्वापित हो जाएंगे और ऐसे अधिकार, हक और हित किसी भी विल्लंगम मुक्त रूप में, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।}

———————————

1. 2014 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 2 द्वारा खण्ड (झ) अंतःस्थापित किया गया जो 28 जूलाई, 1973 से प्रभावी है।
2. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा धारा (6–क) अंतःस्थापित की गई जो 28 जूलाई, 1973 से प्रभावी है।

7. **कतिपय अन्तरणों से अधिशेष क्षेत्र का प्रभावित न होना.**–(1) संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अभिधारी द्वारा पैप्सू अभिधृत्ति और कृषि भूमि अधिनियम, 1955 (1955 का 13) पंजाब भू–धृत्ति सुरक्षा अधिनियम, 1953 (1953 का 10),या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भू–सुधार अधिनियम, 1972 (1972 का 8) के अधीन अर्जित भूमि के सिवाय अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा, नियत दिन के पश्चात् सद्भावपूर्ण अन्तरण के सिवाय, अन्तरण, राज्य सरकार के अधिशेष क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके लिए राज्य सरकार हकदार होती यदि ऐसा अन्तरण न किया जाता।

(2) कुलैक्टर यह अवधारित करेगा कि क्या अन्तरण सद्भावपूर्ण है या नहीं, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु अन्तरण को सद्भावपूर्ण सिद्ध करने का भार अन्तरिती पर होगाः

परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमि का अन्तरण करता है, तो राज्य में निहित करने की दशा में, ऐसे अन्तरण के पश्चात् उसके पास बची भूमि को पहले हिसाब में लिया जाएगा और अन्तरित भूमि, को केवल निहित की जाने वाली भूमि की कमी को पूरा करने के लिए ही हिसाब में लिया जाएगा।

[1]{**7–क. चाय सम्पदाओं के अधीन भूमि अन्तरण को वर्णन.**– (1) तत्समय, प्रवृत्त किसी अन्य विधि, संविदा, करार, रुढ़ि या प्रथा और इस अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (छ) में अन्तर्विष्ट उपन्बधों में किसी बात के होते हुए भी, चाय सम्पदा के अधीन सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग और इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन छूट देने के लिए चिन्हित, का राज्य सरकार की अनुज्ञा के सिवाए विक्रय, दान, विनियम, पट्टा, कब्जा सहित बन्धक या किसी अभिधृति के सृजन अथवा अन्यथा द्वारा अन्तरण नहीं किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार, भूमि अन्तरण से सम्बन्धित किसी दस्तावेज को जो उप–धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में है, रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा चौर ऐसा अन्तरण आरम्भ में ही शून्य होगा और ऐसे अन्तर में अन्तर्वलित भूमि, संरचनाएं, इमारतें या अन्य संलग्नकों सहित, यदि कोई हों, सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में राज्य सरकार में निहित होंगी और ऐसी भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अधिशेष क्षेत्र माना जाएगा।}

———————————

1. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा धारा (7–क) अंतःस्थापित की गई जो 28 जूलाई, 1973 से प्रभावी है।

8. **अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन.**– (1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के या उसके पश्चात् किसी भी समय अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करेगा, अपनी सम्पूर्ण भूमि और पृथक इकाई को विहित प्ररूप और रीति में, विहित समय के भीतर कुलैक्टर को एक विवरणी देगा और उसमें कुल मिलाकर उस अनुज्ञेय क्षेत्र से, जिसे वह प्रतिधारित करना चाहता है, अनधिक भूमि के चयन के बारे में कथन करेगाः

परन्तु ऐसा व्यक्ति नियत दिन के पश्चात् उस द्वारा किए गए भूमि के अन्तरण या अन्य निपटारे का विवरणी में उल्लेख करेगा।

(2) यदि उप–धारा (1) के अधीन चयन की गई भूमि पूर्ण या आंशिक रूप में अभिधारियों के अधीन है, तो भू–स्वामी को, हिमाचल प्रदेश राज्य में तत्समय प्रवृत्त अभिवृत्ति विधि में दिए गए आधारों के सिवाय अभिधारियों को उससे बेदखल करने का अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः–1. जहां व्यक्ति कुटुम्ब का सदस्य है, वहां वह अपनी घोषणा में उस द्वारा धारित भूमि का और कुटुम्ब के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, का भी विवरण सम्मिलित करेगा।

स्पष्टीकरणः–2. व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित भूमि के परिमाण की संगणना करने में अविभाजित कुटुम्ब, रजिस्ट्रीकृत कृषि सहकारी सोसाईटी या कम्पनी में ऐसे व्यक्ति के अंत को हिसाब में लिया जाएगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन अपने अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करने में, भू–स्वामी, पृथक इकाई के लिए भी भूमि का चयन कर सकेगा।

परन्तु पृथक इकाई के लिए चयनित भूमि, नियत दिन को या उसके पश्चात् ऐसी इकाई के स्वामित्वाधीन भूमि जोड़ने के पश्चात् अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक नहीं होगी।

9. **कतिपय भू–स्वामियों और अभिधारियों द्वारा शपथ–पत्रों से समर्थित घोषणा प्रस्तुत की जाना.**–(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिससे धारा 8 के अधीन विवरणी देना अपेक्षित है, जिसकी भूमि एक से अधिक पटवार हलकों में स्थित है, कुलैक्टर को उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित भूमि का ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विहित अवधि के अन्दर शपथ पत्र से समर्थित घोषणा, प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन करने में असफल रहता है तो कुलैक्टर ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे जानकारी संगृहीत करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के अनुज्ञेय क्षेत्र का चयन आदेश द्वारा कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

10. **कुलैक्टर को कथन प्रस्तुत करना.**– (1) धारा 8 के अधीन विवरणी में दी गई जानकारी या धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन की गई घोषणा जो ऐसे अभिकरण द्वारा सम्यक् रूप से, जो विहित किया जाए, सत्यापित की जाएगी, या धारा 9 की उप–धारा (2) के अधीन कुलैक्टर द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर कुलैक्टर अन्य विशिष्टियों के साथ–साथ ऐसे व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा धारित भूमि के कुल क्षेत्र, विनिर्दिष्ट भूमि खण्ड जो कोई व्यक्ति अनुज्ञेय क्षेत्र या अधिकतम सीमा से छूट के तौर पर प्रति–धारित कर सकेगा और अधिशेष क्षेत्र को दर्शाते हुए विहित रीति में, प्रारूपित कथन तैयार करेगा।

(2) प्रारूपित कथन कुलैक्टर के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों को विहित प्ररूप और रीति में तामील की जाएगी। तामील से तीस दिन के भीतर प्राप्त किसी आक्षेप पर कुलैक्टर द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जाएगा और आक्षेपकर्ता को सुनने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कुलैक्टर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(3) प्रारूपित कथन को, कुलैक्टर के आदेश या, यथास्थिति, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में पारित आदेश, यदि कोई हो, के निबंधनों पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

11. **अधिशेष क्षेत्र का राज्य सरकार में निहित होना.**– किसी व्यक्ति का अधिशेष क्षेत्र, उस तारीख को जिसको राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से उसका कब्जा लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा, एतद्पश्चात् उपबन्धित राशि के संदाय पर, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित कर लिया गया समझा जाएगा और ऐसे क्षेत्र में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा द्वारा मान्यता प्राप्त सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, हक और हित (समाश्रित हित सहित, यदि कोई हों) निर्वापित हो जाएंगे और ऐसे अधिकार, हक और हित किसी भी विल्लंगम से मुक्त रूप में राज्य सरकार में निहित हो जाएंगेः

परन्तु जहां बन्धककर्ता के अनुज्ञेय क्षेत्र के भीतर कोई भूमि सकब्जा बन्धक की जाती है और बंधकदार के अधिशेष क्षेत्र के भीतर आती हो, वहां केवल बन्धकदार अधिकार ही राज्य सरकार द्वारा अर्जित किए गए माने जाएंगे और वे इसमें निहित होंगे।

12. **अधिशेष क्षेत्र का कब्जा लेने की शक्ति.**–(1) कुलैक्टर, अधिशेष क्षेत्र हो जाने के पश्चात, किसी भी समय लिखित रूप में आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्र के कब्जाधारी व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह उस आदेश की तामील से दस दिन के भीतर उसका कब्जा ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि अधिशेष क्षेत्र का कब्जाधारी व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन किए गए आदेश का, युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो कुलैक्टर अधिशेष क्षेत्र का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो।

13. **भू–स्वामियों के हिस्सों को पृथक करने की शक्ति.**–(1) जहां भू–स्वामी अन्य भू–स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से भूमि का स्वामित्व रखता है और ऐसी भूमि में या उसके भाग में, उसके हिस्से को अधिशेप क्षेत्र घोषित किया गया है या किया जाना है, ऐसा क्षेत्र घोषित करने के लिए सक्षम अधिकारी या जहां ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो उसका उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी स्वप्रेरणा से, संक्षिप्त जांच करने और ऐसी भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्य भू–स्वामियों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन भूमि या उसके भाग में उसके हिस्से को पथृक कर सकेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् और उसके उपयोग से पूर्व, उसकी भूमि चकबन्दी की प्रक्रिया के अधीन कर दी जाए, उप–धारा (1) में निर्विष्ट अधिकारी, चकबन्दी के पश्चात् उस द्वारा उपाप्त भूमि के क्षेत्र में से ऐसे व्यक्ति के अधिशेय क्षेत्र को पृथक् करने के लिए सक्षम होंगे।

14. **राशि के अवधारण और संदाय के लिए सिद्धांत.**–(1) जहां धारा 11 के अधीन कोई अधिशेष क्षेत्र राज्य सरकार में निहित हो गया हो, कुलैक्टर इसमें इसके पश्चात् उप–वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार उसके लिए संदेय राशि का विनिर्धारण करेगा अर्थात्– (1) दस एकड़ भूमि तक के लिए, भू–राजस्व का पचानवें गुणा (रेट और उपकरों सहित), (2) दस एकड़ से अधिक और तीस एकड़ से कम भूमि के लिए, भू–राजस्व का पचहत्तर गुणा (रेट और उप–करों सहित), और (3) शेष भूमि के लिए, भू–राजस्व का पैंतालीस गुणा (रेट और उप–करों सहित) ऐसी भूमि के लिए देय होगाः

परन्तु यदि उस जोत या उसके भाग का, जो अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट है, भू–राजस्व के लिए निर्धारण नहीं किया गया है तो ऐसी भूमि पर भू–राजस्व सम्पदा में उसी प्रकार की भूमि पर और यदि सम्पदा में उपलब्ध न हो, तो यथास्थिति, संलग्न सम्पदा या सम्पदाओं पर निर्धारित किया गया अनुमानित किया जायेगाः

परन्तु यह और कि भू–राजस्व के निर्धारण और राशि के अवधारण के लिए उजाड भूमि, बंजर भूमि मानी जायेगी।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए कुलैक्टर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, शशि का कथन तैयार करेगा और विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों में राशि का प्रभाजन करेगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति के अधिशेष क्षेत्र में बन्धकदार अधिकार, सरकार में निहित हो गया हो, वहां बन्धकदार को संदेय राशि, बन्धकदार को देय बन्धक राशि या इस धारा के अधीन संदेय राशि, जो भी कम हो, होगी।

(4) जहां भूमि पर कोई भवन, संरचना, नलकूप या फसल है, वहां उसका स्वामी, भूमि के सम्बन्ध में संदेय राशि के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली राशि का हकदार होगा, जो ऐसे भवन, संरचना, नलकूप के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर होगी। भूस्वामी अधिशेष क्षेत्र में खड़ी फसल के काटने का हकदार होगा।

(5) राशि या तो एक मुश्त में या दस से अनधिक छःमाही किस्तों में, विहित रीति में संदेय होगी ।

15. **अधिशेष क्षेत्र का व्ययन.**–(1) अधिशेष क्षेत्र जो धारा 11 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गया है, राज्य सरकार के व्ययन पर होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसमें निहित अधिशेष क्षेत्र के उपयोग के लिए आवंटन द्वारा स्कीम की विरचना कर सकेगी–

(क) भूमिहीन व्यक्ति [1]{प्राकृतिक विपत्ति पीडित व्यक्ति} को या अन्य पात्र व्यक्ति को;

(ख) घर के निर्माण के लिए विकलांग या घरहीन व्यक्ति को स्थान के आवंटन के लिए;

और आबंटिती–

(i) उसको आबंटित भूमि के लिए, भू–राजस्व के पचानवें गुणा की दर के अतिरिक्त उसके रेट और उपकर; और

(ii) भवन, संरचना या नलकूप के लिए यदि कोई हो, ऐसे भवन संरचना या नलकूप के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय करेगाः

परन्तु यदि उस जोत या उसके भाग का जो अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट है, निर्धारण नहीं किया गया है तो ऐसी भूमि पर भू–राजस्व समझा जायेगा जो सम्पदा में उसी प्रकार की भूमि पर और यदि सम्पदा में उपलब्ध न हो तो, यथास्थिति, संलग्न सम्पदा या सम्पदाओं पर निर्धारित अनुमानित किया जायेगाः

परन्तु यह और कि भू–राजस्व के निर्धारण और राशि के अवधारण के लिए उजाड़ बंजर भूमि मानी जाएगी।

(2–अ) उप–धारा (2) के अधीन अधिशेष भूमि का आवंटन करने के लिए भूमिहीन व्यक्तियों के बीच प्रथम अधिमान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को दिया जायेगा।

———————————

1. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडे गए।

(3) राज्य सरकार द्वारा उप–धारा (2) के अधीन विरचित किसी स्कीम में उन निबंधनों और शर्तों का उपबन्ध किया जा सकेगा जिन पर अधिशेष क्षेत्र में समाविष्ट भूमि आवंटित की जायेगी।

(4) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में, परिवर्धन, संशोधन, फेर–फार या प्रतिसंहरण कर सकेगी।

[1]{**स्पष्टीकरण.**– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "प्राकृतिक विपत्ति" पद से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत बाढ़, भूकम्प, भू–स्खलन, हिमस्खलन, बर्फानी तूफान, ओला वृष्टि, अग्नि, अतिवृष्टि, मेघ विस्फोट, आंधी और बिजली द्वारा कारित विपत्ति है।}

15–अ. **राज्य के विकास के लिए भूमि का उपयोग.**– अधिनियम की धारा 15 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन निहित भूमि के किसी क्षेत्र का उपयोग, राज्य के विकास के हित में [2]{किसी व्यक्ति को पट्टे के रूप में अन्तरण या आदान–प्रदान द्वारा} सरकार के किसी विभाग को अन्तरण द्वारा कर सकेगी, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है।

परन्तु जब किसी व्यक्ति द्वारा भूमि उस प्रयोजन के लिए प्रयोग न की जाए जिसके लिए यह पट्टे पर दी गई है, तो पट्टे का सभी विल्लंगमों से मुक्त पर्यावसान हो जायेगा और सरकार पट्टान्तरण परिसरों में पुनः प्रवेश करेगी, और पट्टे की राशि, यदि सरकार को संदत्त की हो, समपहृत हो जायेगी और व्यक्ति उसमें किए गये किसी विकास और संनिर्माण की गई किसी इमारत के लिए, किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

16. **अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि के भावी अर्जन का वर्जन.**– किसी विधि, रूढ़ि, प्रथा, संविदा या करार में किसी प्रतिकूल, बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से और उनके पश्चात् कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भू–स्वामी या अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार के रूप में, अन्तरण, विनिमय, बन्धक, पट्टेदारी, करार या सैटलमेन्ट द्वारा कोई भी ऐसी भूमि अर्जित या धारण नहीं करेगा, जो उसके स्वामित्वाधीन या उस द्वारा पहले धारित भूमि सहित या बिना, कुल मिला कर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक हो जाएं।

———————————

1. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा स्पष्ट्रीकरण जोडा गया।
2. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा "किसी व्यक्ति को पट्टे पर देकर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए।

17. **अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक भूमि का विरासत द्वारा या अन्यथा भावी अर्जन या ऐसे क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रवर्तन के परिणाम स्वरूप वृद्धि.**– (1) धारा 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति, चाहे भू–स्वामी या अभिधारी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका वह उत्तराधिकारी है, विरासत द्वारा या वसीयत या दान द्वारा, कोई भूमि अर्जित करता है, किसी व्यक्ति ने अन्तरण, विनियम, बन्धक, पट्टेदारी, करार या सैटलमेन्ट द्वारा कोई भूमि अर्जित की है, या यदि, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति किसी अन्य रीति से कोई ऐसी भूमि अर्जित करता है जो, उसके स्वामित्वाधीन या उस द्वारा पहले धारित भूमि सहित या बिना, कुल मिला कर अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक हो जाती है या कोई व्यक्ति, जिसकी भूमि इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन के परिणाम स्वरूप अनुज्ञेय क्षेत्र से अधिक हो जाती है तो वह, कुलैक्टर को, विहित अवधि के भीतर, विहित प्ररूप में और विहित रीति में सम्पूर्ण भूमि की विशिष्टियां देते हुए और कुल मिलाकर अनुज्ञेय क्षेत्र से अनधिक भूमि का चयन करते हुए जिसे रखने का वह इच्छुक हो, विवरणी प्रस्तुत करेगा, और यदि ऐसे व्यक्ति की भूमि एक से अधिक पटवार हलकों में स्थित हो तो वह धारा 9 द्वारा अपेक्षित घोषणा भी प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि वह विहित अवधि के भीतर विवरणी देने और भूमि का चयन करने में असफल रहता है, तो कुलैक्टर, उसके सम्बन्ध में विवरणी में दर्शित की जाने के लिए अपेक्षित सूचना ऐसे अभिकरण द्वारा उपाप्त कर सकेगा जिसे वह उचित समझे और धारा 8 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति में उसके लिए भूमि का चयन करेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति घोषणा करने में असमर्थ रहता है, तो धारा 9 के उपबन्ध लागू होंगे।

(4) ऐसे व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि, धारा 15 के अधीन अधिशेष क्षेत्र के रूप में उपयोग किए जाने के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जो राज्य सरकार अधि–सूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, राज्य सरकार के व्ययन पर होगी।

स्पष्टीकरणः– कुटुम्ब की दशा में विवरणी, कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य द्वारा और एकमात्र अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक द्वारा, दी जा सकेगीः

परन्तु कुलैक्टर, अधिशेष क्षेत्र का अवधारण करने से पूर्व, कुटुम्ब के समस्त सदस्यों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

[1]{17–क. **धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त भूमि उपयोग के कुछ अन्तरणों और परिवर्तन का व्यवहार.**– (1) कलस्टर नियत तारीख के पश्चात्, किन्तु हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम् सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ से पूर्व, किसी चाय सम्पदा से समाविष्ट किसी भूमि के बारे में, चाहे चाय बागान के अधीन या चाय बागान के अनुसेवी अन्य प्रयोजनों के लिए धारित और अधिनियम की धारा 5 को खण्ड (छ) और तद्धीन बनाए गए, नियमों के अधीन छूट प्राप्त, विक्रय, बन्धक, दान या अन्य रूप में किए गए अन्तरण के अभिलेख को अपने जिले के राजस्व अधिकारियों से मांगेगा और ऐसे अन्तरण की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अभिलेख कर परीक्षण करेगा।

(2) कलक्टर, जहां उप–धारा (1) के अधीन अभिलेख के परीक्षण पर या निश्चित सूचना के परिणामस्वरूप, जो उसके कब्जा में आई है और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे, का समाधान हो जाता है कि, भूमि का अन्तरण कपट या तथ्यों के छिपाव के परिणामस्वरूप अथवा चाय बागान/उद्योग के हितों के लिए हानिकारक है या भूमि को किसी अन्य उपयोग में लाया गया है, तो वह, हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम् सीमा (संशोधन), अधिनियम, 1999 के प्रारम्भ से आगामी दो वर्ष के भीतर किसी भी समय भूमि उपयोग के ऐसे अन्तरण या परिवर्तन को अवैध और शून्य घोषित करेगाः

परन्तु कलक्टर इस उप–धारा के अधीन, भूमि के अन्तरण की दशा में ऐसे अन्तरण के पक्षकारों को, और भूमि के उपयोग के परिवर्तन की दशा में भू–स्वामियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

(3) जहां उप–धारा (2) के अधीन भूमि के उपयोग के परिवर्तन को अवैध घोषित किया गया है, वहां कलक्टर भू–स्वामी को ऐसी एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर जैसी वह नियत करे, भूमि चाय बागान या चाय बागान के अनुसेवी प्रयोजन के लिए प्रत्यावर्तित करने का निदेश देगा अर्थात् वह प्रयोजन जिसके कारण इसे अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (छ) के अधीन अधिनियम के उपबन्धों से छूट प्राप्त है, ऐसा न होने पर, ऐसी भूमि को, अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञेय क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजन को हिसाब में लिया जाएगा।

(4) जहां भूमि का कोई अन्तरण उप–धारा (2) के अधीन शून्य घोषित किया गया है, वहां भू–स्वामी और ऐसी अन्तरित भूमि में किसी अन्य व्यक्ति/अन्तरिती के सभी अधिकार, हक और हित जिसके अन्तर्गत समाश्रित हित, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी करार, लिखत, रुढ़ि या प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, निर्वापित हो जाएंगे और ऐसे सभी अधिकारों, हकों और हितों, संरचनाओं, इमारतों और अन्य संलग्नकों सहित, यदि कोई हो, सभी विल्लंगमों से मुक्त, राज्य सरकार में निहित और अन्तरित हो जाएंगे तथा ऐसी भूमि का कब्जाधारी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 163 के उपबन्धों के अधीन बेदखल किए जाने का दायी होगा और ऐसा व्यक्ति ऐसी भूमि के बदले

में केवल ऐसी रकम का हकदार होगा जो अधिनियम के अधीन अवधारित की गई होती और उसे संदेय होती, मानो ऐसी भूमि अनुज्ञेय क्षेत्र में अधिक और धारा 11 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई थीः

परन्तु कलक्टर, कठिनाई के असाधारण मामलों में, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और कारण जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी संरचना, इमारत या अन्य संलग्नकों के तद्धीन भूमि सहित अन्तरण और निहित करने के बदले में, ऐसे भू–स्वामी, जिसने भूमि अन्तरित की है, के अनुज्ञेय क्षेत्र में से उपर्युक्त संरचना, इमारत या उसके संलग्नकों के अधीन आई भूमि के समतुल्य, सभी विल्लंगमों से मुक्त किसी अन्य भूमि को अन्तरित और निहित करने का आदेश दे सकेगा।}

18. **अधिकारिता का वर्जन.**—(1) किसी भी सिविल न्यायालय को,

(क) भूमि के अन्तरण के लिए संविदा के, जो इस अधिनियम के अधीन अधिशेष क्षेत्र पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रभावित करती है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद को ग्रहण करने या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने, या

(ख) किसी मामले को निपटाने, विनिश्चित करने या उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने, जिसका इस अधिनियम के अधीन निपटान, विनिश्चिय या कार्यवाही किया जाना वित्तायुक्त, आयुक्त, कलक्टर द्वारा अपेक्षित है, अधिकारिता नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन या इसके अनुसरण में वित्तायुक्त, आयुक्त, कुलैक्टर का कोई आदेश, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

19. **रकम और शास्ति की वसूली का ढंग.**— इस अधिनियम के अधीन संदेय अन्य राशि की रकम और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

20. **अपील,** [2]{XXXXXXXXXXX} **और पुनरीक्षण.**— (1) कुलैक्टर के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, विनिश्चय या आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, आयुक्त को अपील कर सकेगाः

परन्तु आयुक्त साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित था।

———————————

1. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा जोडी गई।
2. 2000 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 7 द्वारा "पुनर्विलोकन" चिन्ह और शब्द का लोप किया गया।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आयुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती देने के लिए वित्तायुक्त के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकेगा और वित्तायुक्त ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझें। वित्तायक्त का आदेश अन्तिम होगा।

(3) पूर्वगामी उप–धाराधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तायुक्त किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी की किसी कार्यवाही या आदेश के अभिलेख को, ऐसी कार्यवाहियों या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा और उसके बारे में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझें।

21. **जांच करने वाले अधिकारियों को सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्राप्त होना.**– इस अध्याय के अधीन जांच करने वाले, अपील या पुनरीक्षण की सुनवाई करने वाले किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित के बारे में सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी,–

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना;

(ख) किसी भी व्यक्ति का उपस्थित कराया जाना और शपथ पर उसका परीक्षण;

(ग) दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना;

(घ) कमीशन जारी किया जाना;

और ऐसा प्रत्येक आधिकारी या प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 480 और 482 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय माना जाएगा।

22. **मिथ्या कथन करने के लिए शास्ति.**–(1) यदि कोई व्यक्ति धारा 9 द्वारा अपेक्षित घोषणा देने में असफल रहता है या इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान ऐसी घोषणा या कथन करता है या ऐसी जानकारी देता है, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास करने का कारण है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है तो वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय, उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सिवाय, कुलैक्टर द्वारा किए गए परिवाद के नहीं करेगा।

23. **प्रक्रिया.**– इस अधिनियम के अधीन सभी जांचों और कार्यवाहियों में, कलक्टर और किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाए।

24. **कतिपय अधिकारियों का लोक सेवक होना.**– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक माना जाएगा।

25. **इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**– (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन या उनके अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी भी बात के बारे में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबन्धों के फलस्वरूप कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुक्सान या सहन की गई या होने के लिए संभाव्य किसी क्षति के लिए, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई भी बाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

26. **नियम बनाने की शक्ति.**– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किन्हीं नियमों को बनाने की शक्ति, नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए जाने की शर्त के अधीन रहते हुए है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल मिला कर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो में या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या उससे ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में किसी परिवर्तन की अपेक्षा करती है या सहमत है या सहमत हो जाए कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**– यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई पैदा होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

28. **निरसन और व्यावृत्ति**– (1) पंजाब सक्योरटी आफ लैण्ड टेन्योरस ऐक्ट, 1953 (1953 का 10) पैप्सू टैनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चर लैण्ड्स ऐक्ट, 1955 (1955 का 13) और हिमाचल प्रदेश विशाल भू–सम्पदा समाप्ति और भू–सुधार अधिनियम, 1953 (1954) (1954 का 44) के उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उप–धारा (1) में वर्णित अधिनियमितियों का निरसन, उनके पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निरसित अधिनियम या विधि के अधीन की गई किसी नियुक्ति, प्रत्यायोजन या किए गए अन्तरण, जारी की गई अधिसूचना, उद्घोषणा, आदेश अनुदेश, या निदेश, प्रदत्त की गई कोई शक्तियां और प्राधिकार, अर्जित अधिकार और उपगत उत्तरदायित्व, बनाए गए नियम, विनियम, प्ररूप या स्कीम, नियत की गई तारीख, समय और स्थान और अन्य बातों सहित, की गई कोई बात या की गई कार्रवाई–

(क) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों, यदि कोई हों, के अधीन की गई मानी जाएगी,

(ख) तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई कार्रवाई द्वारा अन्यथा निर्देशित या अधिक्रान्त नहीं कर दी जाती।

(4) उप–धारा (1) में उल्लिखित अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर निपटारे के लिए लम्बित वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों का निपटान, उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा, मानों कि ये अधिनियम निरसित नहीं किए गए थे।

(5) **व्यावृत्ति**.– जहां मूल अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन भूमि का कोई आवंटन, इस अधिनियम की धारा 2 और 3 द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत पाया जाए, वहां किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त अधिकारी के लिए ऐसे आवंटन को रद्द करना और इस प्रकार आबंटित भूमि का पुनः कब्जा लेना, विधिपूर्ण होगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, प्रश्नगत भूमि के आवंटितों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।